P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-1* April- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

ग्रामीण अधोसंरचना विकास और सामाजिक समावेशन : प्राथमिक शिक्षा एवं निर्धनता के सन्दर्भ में एक अध्ययन

आर.एस.त्रिपाठी
प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय स्नातक
महाविद्यालय,
बड़वारा, कटनी (म.प्र.)

विकास कुमार द्विवेदी
शा. तिलक महाविद्यालय
कटनी. (म.प्र.)

सारांश

ग्रामीण संचार, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, स्वशासन और बाजार विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण सड़कों का बेहतर जाल बिछाने, रेलवे विद्युतीकरण, पेयजल और स्वच्छता के राष्ट्र व्यापी योजनाओं पर तथ्यगत विश्लेषण किया गया है। तेज परिवहन इक्कीसवीं सदी की गतिशीलता का आधार और उपलब्धि दिखाने वाला है। आधारभूत संरचना विकास में परिवहन का तेज विकास को गति प्राप्त हुयी है। ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास एवं शिक्षा के विस्तार की मूलभूत आवश्यकतायें एक–दूसरे के लक्ष्यों को लेकर चलने लायक प्राथमिकतायें हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर विकास के भौतिक ढाँचे का विस्तार तथा प्राथमिक शिक्षा का सावभौमिकरण होना जरूरी है, क्योंकि स्कूलों की भौतिक दशायें चिंताजनक रही हैं। विद्यालय या प्राथमिक स्कूल किसके लिये हैं ? यह प्रश्न प्रमुख है। ग्रामीण अधोसंरचना का एक भाग स्कूल का निर्माण है। अधोसंरचनात्मक विकास ग्रामीण समाज की विकास की प्रक्रिया को रास्ते पर लाने और आगे बढ़ने का मुख्य प्रयास है। इससे सार्वजनिक प्रावधान और सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा होता है। उच्च अधोसंरचनात्मक विकास ने बाजार और शहरीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण इलाके को बदल डाला है।

वीज शब्द : ग्रामीण अधोसंरचना, जीवन गुणवत्ता स्तर, ग्रामीण गतिकी, स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा, मानव विकास सूचकांक, सामाजिक समावेशन, निर्धनता उन्मूलन।

प्रस्तावना–

प्रस्तुत शोध आलेख द्वैतीयक सूचना स्त्रोतों और अध्ययनों पर आधारित है और अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना विकास का क्रमिक ढाँचे का अध्ययन करना,
2. स्वास्थ्य एवं परिवहन जैसे आधारभूत ढाँचे के विकास का अवलोकन,
3. प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न सूचकों का गहन अवलोकन,
4. सामाजिक समावेशन ढाँचेको जानना जो ग्रामीण अधोसंरचना विकास से सम्बंधित।

विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य आधारभूत संरचनाओं और सुविधाओं को तैयार करना रहा है। इससे जीवन की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हुआ है। इसके भीतर भौतिक संरचनाओं का निर्माण प्राथमिक उद्देश्य रहा है। पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, स्वच्छता कार्यक्रम, आवास तथा भौतिक रूप से सिंचाई, ऊर्जा, बैंक, वित्तीय समावेशन केन्द्र, संचार प्रौद्योगिकी (डिजीटल केन्द्र) भी गाँवों में तैयार हुये हैं। इनके विकास क्रम में खाद्य सुरक्षा, कृषि उपज मण्डी, बाजार व्यवस्थायें तेजी से निर्मित की गयीं। रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में मनरेगा, PMRY जैसी योजनाओं की प्रगति आशाजनक है। कई अध्ययनों का विषय रहा है कि वर्ष 2006 से लागू मनरेगा योजना से गाँवों से पलायन कम हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रभाव देखे गये तो पाया गया कि अस्पताल तक ग्रामीणों की पहुँचमें तेजी आयी है। प्रसूतियों के बीच मृत्युदर में कमी आयी है। आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि का असर हुआ कि समय से बच्चे और शिक्षक स्कूल पहुँच रहे हैं।

सामाजिक प्रभाव यह है कि अंधविश्वास, छुआछूत और जातिवाद का असर कम है। लोग गाँवों से बाहर जाने लगे हैं। विकास कार्यों से जुड़े विभागों के कर्मचारी गाँवों तक आते हैं। समाचार पत्र गाँवों में रोजाना आता है। कृषि और परिवहन में क्रांति आती जा रही है। व्यक्तिगत साधनों में दोपहिया और चार पहिया वाहन हैं। खेती की उपज ट्रेक्टर से शहर की मण्डी में प्रातः पहुँचजाती है। अकेले ट्रेक्टर से गाँवों में निर्माण सामग्री सम्बंधी रोजगार सृजन, परिवहन व्यवसाय प्रगति कर रहा है। आधारभूत संरचना में कृषि उपज के प्रबंधन का

काम रोजगार सृजन का बड़ा क्षेत्र है। ग्रामीण मण्डी, वेयर हाउस को अधिक अनाज के भण्डारण हेतु सरकारी प्रोत्साहनों से प्राइवेट वेयर हाउस बने हैं। आधारभूत साधन होने से उपज को बिक्री हेतु शहर के सब्जी मार्केट में उसी दिन पहुँचाया जाता है।

मण्डी, ग्रामीण यातायात, ट्रेक्टरों का व्यापक प्रयोग ने धीरे–धीरे ग्रामीण व्यापार और उपज बिक्री के व्यापार चक्र को संतुलित कर दिया है। जनजातीय क्षेत्र में विकास का बड़ा श्रेय है। मनरेगा योजना को जिसने आधारभूत संसाधनों के विकास में योगदान किया है।

जीवन गुणवत्ता स्तर में सम्बंध में मानक संकेतक बनाये गये हैं अर्थात एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक वर्ग के लिए उपलब्ध धन, आराम, भौतिक वस्तुओं के स्तर को दर्शाता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य रूप में जीवन स्तर के मूल्यांकन हेतु स्मारकों का सकल योगदान है, जैसे काम चलाऊ परन्तु सम्मानजनक आमदनी गरीबी का अनुपात कम से कम स्वास्थ्य की गुणवत्ता, राजनैतिक, धार्मिक स्वतंत्रता, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, अवकाश और आराम हेतु वर्ष में छुट्टियॉ और भ्रमण का उपयोग करने की क्षमता, निजी आवास की गुणवत्तापूर्ण दशा तथा सूचना–संचार साधनों से निकट उपयोग करने की क्षमता होना आदि।

जीवन स्तर प्रत्याशा है मानव विकास सूचकांक (HDI) का जिसे 1990 में UN द्वारा रखा गया। किसी देश में वयस्क साक्षरता, सकल घरेलू उत्पाद के लिए जीवन प्रत्याशा को सामने रखकर गणना की जाये। व्यक्ति को अपने देश और समाज में स्वतंत्रता कुछ भी हासिल करने का अधिकार, आमदनी और व्यवसाय में स्थिर रहने का अवसर है। दवायें खरीद सकते हैं ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे तथा सरकारी सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच में सभी नागरिक हैं।

साहित्यावलोकन

मधुसुधन घोष 2017 ने ग्रामीण भारत में अधोसंरचना विकास की समीक्षा की है। इन्होंने पाया कि क्षेत्रीय अन्तर राज्यवार रहे हैं। सुविधायें मुख्यतया ग्रामीण गरीबों को देना थी और सभी राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अन्तर रहा है। अधोसंरचना विकास के लिये सांख्यकीय गणनाओं के आधार पर आजीविका एवं कृषि उत्पादन की बढ़ोत्तरी को तुलनात्मक निष्कर्ष रखे हैं। जीवन प्रत्याशादर में वृद्धि, बाल मृत्युदर में गिरावट और गरीबी के दुष्चक्र में कमी होना अधोसंरचना के तेज विकास पर निर्भर तथ्य है।

वर्ष 2012–13 में ग्रामीण अधोसंरचना (Infrastructure) का मूल्यांकन दस्तावेज प्रकाशित किये हैं। इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट को (331 पृष्ठ) में विभिन्न क्षेत्रों पर गहन जानकारी समेटी है। ग्रामीण गतिकी (Rural Dynamics) अध्याय में विस्तार नगरीकरण से बदलते ग्रामीण उथलपुथल (Blurring) आया है। खेती के व्यावसायीकरण, गैर कृषि रोजगार के साथ कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का परिवर्तन की सामाजिक गतिकी का विवेचन किया गया है। इसको ग्रामीणों को बारहमासी पक्की सड़कों को बनाने का लक्ष्य आशा से अधिक बना पाये। बिजली आपूर्ति प्रणाली में बेहतरी होनी चाहिये कि हर घर में बिजली पहुँचे, बायोगैस, गैस सिलेण्डर की आपूर्ति अधिकतम हो। जलापूर्ति और स्वच्छता का लक्ष्य अधोसंरचना विकास में प्रमुख उपलब्धियॉ मिली। ग्रामीण आवासों की पूर्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का स्थान ऊपर है साथ ही संचार साधनों को हर गॉव तक पहुँचना योजनाओं के शत् प्रतिशत सफलता का विषय है।

अधोसंरचना विकास के अध्ययनों में पृष्ठभूमि का ढॉचा कृषि विकास, परिवहन, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता को गजटीय आबंटनों के तुलनात्मक आंकड़ों का विश्लेषण आगामी शोधों के लिये उपयोगी बन जाता है। बुनियादी सुविधाओं के उपर बजट प्रावधान बराबर बड़े आकड़ों के साथ रहे है। इसमें भी 2018–18 का बजट आबंटन विश्लेषण से सामने आया है कि 6 लाख करोड़ डिजिटल इण्डिया के बजट में दिया गया ताकि अधोसंरचना विकास के साथ रोजगार सृजन भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े (योजना, मार्च–2018)।

के.के. त्रिपाठी 2019 ने ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन को अधोसंरचनाओं के निरन्तर वृद्धि से जोड़कर परिणाम गिनने की आवश्यकता बताई है। अधोसंरचना विकास के क्षेत्र सुपरिचित है जो ग्रामीण आवास से लेकर संचार क्रांति तक प्राथमिक लक्ष्यों को रूप में चिन्हित हैं।

ग्रामीण अधोसंरचना पर दो मुख्य रिपोर्ट का उल्लेख किया जा सकता है। राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसंधान परिषद (NCAER) 152 पृष्ठ की तैयार की है। इसके साथ IFDC ने 2012-13 में ग्रामीण विकास रिपोर्ट में अधोसंरचना का विकास कार्यक्रम एवं लक्ष्यों को विस्तार से समीक्षा 334 पृष्ठों में तैयार की थी। NCAER के रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर ग्रामीण गरीबी आर्थिक विकास पर तथ्यात्मक आकड़े भी दिये गये हैं। यह बताया गया है कि अधोसंरचना में उन्नति से फायदे हैं –

1. आमदनी और रोजगार अवसरों में वृद्धि,
2. उत्पादन क्षमता में उन्नति होगी,
3. पहुँचमें उत्पादों का बेहतर बाजार तंत्र,
4. समय और धन की बचतों का अवसर,
5. ग्रामीण आबादी की उन्नति, स्वास्थ्य और पोषण।

ग्रामीण संचार, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, स्वशासन और बाजार विकेन्द्रीकरण, ग्रामीण सड़कों का बेहतर जाल बिछाने, रेलवे विद्युतीकरण, पेयजल और स्वच्छता के राष्ट्र व्यापी योजनाओं पर रिपोर्ट में तथ्यगत विश्लेषण किया गया है। शोधकर्ता के लिये अनिवार्य दस्तावेज है। रिपोर्ट के अलावा विश्व बैंक के प्रतिवेदनों का अध्ययन किया जा सकता है।

केसव दास (2017) (गुजरात इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च) ने ग्रामीण अधोसंरचना के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। इन्होंने निर्धनता और ग्रामीण विकास को अधोसंरचना के परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया है। राज्य–सत्ता द्वारा योजना सम्बंधी पहल और आर्थिक निर्णयों का भी उल्लेख किया है। अधोसंरचना के विकास में राजनैतिक हितों की भी पूर्ति की जाती है। एक प्रतिवेदन में 2000–12 के बीच व्यय की स्थिति इस प्रकार दी गयी है। केन्द्र सरकार ने व्यय प्रावधान किये थे और वास्तविक व्यय 2000–12 के दौरान हुआ।

क्षेत्र	करोड़ रू.	शेयर %
ग्रामीण सड़कें	90,517	29.8
आवास	48,511	16.0
सिंचाई	48,185	15.0
वाटरशेड	10,557	3.5
पेयजल, सेनीटेशन	62,342	20.5
ग्रामीण विद्युतीकरण	24,100	7.9
टेलीकम्यूनिकेशन	13,851	4.6
स्टोरेज	1,972	0.6
PURA	206	0.1
IAP	3,654	1.2
वास्तविक	3,03,894	100.00

संदर्भ : इण्डिया रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012–13:118 P

तेज परिवहन ग्रामीण अधोसंरचना का मूल उपक्रम

तेज परिवहन इक्कीसवीं सदी की गतिशीलता का आधार और उपलब्धि दिखाने वाला है। आधारभूत संरचना विकास में परिवहन का तेज विकास को गति प्राप्त हुयी है। इसके प्रभाव हैं, जैसे –

आयाम	परिप्रेक्ष्य
आर्थिक कुशलता	अधिक लाभ, उपयोगकर्ता के लिए, रोजगार, सेवाओं की पहुॅच।
पर्यावरणीय	ऊर्जा बचत, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन पर कमी, टेल पाइप उत्सर्जन को कम करना (पीएम की पर्टिकुलेट धातु)।
सामाजिक स्थायित्व	मूल सेवाओं तक पहुॅच, भौतिक पहुँच बढ़ाना, सुरक्षा जोखिम, दुर्घटनाएं कम, उच्च गुणवत्ता का प्रयोग, वायु प्रदूषण में कमी।

कृष्णदेव, हरित परिवहन के साथ भविष्य की यात्रा, योजना, नवम्बर, 2015, पृ.सं.17–19

परिवहन क्षेत्र अधोसंरचना विकास का प्रमुख आधार है। इसमे कई आयाम हैं, जैसे आर्थिक कुशलता, पर्यावरणीय तथा सामाजिक स्थायित्व के सम्बंध में स्पष्ट लक्ष्य है। पूॅजी, तकनीक, मानव देशांतरण और आवागमन होता है। एक स्थान से दूसरी दिशाओं के भ्रमण, मानव जनसंख्या की भौतिक गतिशीलता परिवहन से चरम गति पर प्राप्त कर रही है। यह तेज आवागमन का युग है।

सारणी – 1.0
अर्थव्यवस्था के विभिन्न साधनों की जीडीपी में भागीदारी

क्षेत्र	2001–02	2006–07	2009–10	2011–12
रेलमार्ग	1.2	1.0	1.0	1.0
सड़क मार्ग	3.9	4.7	4.6	4.8
जल परिवहन	0.2	0.2	0.2	0.2
वायु परिवहन	0.2	0.2	0.2	0.3
सेवायें	0.5	0.5	0.4	0.4
औसत	6.0	6.7	6.5	6.5

योजना– नवंबर, 2015, पृ.सं.36, जगन्नाथ कश्यप, परिवहन क्षेत्र : आर्थिक पक्ष

विनिर्माण क्षेत्र सबसे अधिक अर्थव्यवस्था का विकसित प्रवृत्तियों का क्षेत्र जहॉ आर्थिक वृद्धि प्रतिस्पर्धा और नयी संभावनाओं के साथ कार्य करता है। अधोसंरचना विकास के प्रमुख स्त्रोत स्वास्थ्य अर्थात बड़े सुसज्जित अस्पताल, पैरामेडिकल सेवायें आगे बढ़ें ताकि गरीब भी आयुष्मान योजना का लाभ लें। आज भी गाँवों को पूरी तरह बिजली नहीं मिल रही है और 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा होना है। उसी तरह स्कूलों का प्रबंध प्राईवेट संस्थाओं द्वारा पूर्ति का प्रयास सुशासन से अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। अधोसंरचना विकास 16 प्रतिशत का योगदान विनिर्माण क्षेत्र से मिलता है। इसको 2020 तक 25 प्रतिशत तक पहुँचाना है (योजना–अप्रेल, 2015) अधोसंरचना विकास में पर्यटन का अलग स्थान बन चुका है। ग्रामीण पर्यटन की तैयारी और विकास योजना, रणनीति के क्रियान्वयन करने का प्रमुख क्षेत्र है (योजना–मई, 2015)। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन का महत्व और उपयोग, सूचना, विपणन रणनीति, परिवहन सुविधायें, मनोरंजन क्षेंत्र आदि हैं। परिवहन विकास वर्तमान सामाजिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है।

शिक्षा तक पहुँच(प्राथमिक विद्यालय किसके लिए है ?)

ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास एवं शिक्षा के विस्तार की मूलभूत आवश्यकतायें एक–दूसरे के लक्ष्यों को लेकर चलने लायक प्राथमिकतायें हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर विकास का भौतिक ढाँचेका विस्तार तथा प्राथमिक शिक्षा का सावभौमिकरण होना जरूरी है, क्योंकि स्कूलों की भौतिक दशायें चिंताजनक रही हैं। विद्यालय या प्राथमिक स्कूल किसके लिये हैं ? यह प्रश्न प्रमुख है। ग्रामीण अधोसंरचना का बड़ा भाग स्कूल का निर्माण है। विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनायें स्कूल भवन, सुविधायें बनाने पर केन्द्रित रहीं हैं। ग्रामीण अधोसंरचना को स्कूल, पेयजल, आंगनबाड़ी भवनों का काम, रोजगार गारण्टी, मनरेगा जैसी योजनाओं का ढॉचा सड़के बनाने के साथ परिसम्पत्यिों के निर्माण में शामिल है। स्कूलों के निर्माण में जनभागीदारी, ग्राम क्षेत्र की भागीदारी होनी चाहिये। अधोसंरचना में कमी से अभिभावकों की रूचि बच्चों को स्कूल भेजने में गिर जाती है। अधोसंरचना जो भी है वह सरकारी संसाधनों और बजट से खड़ी होती है। स्कूल के मामले में शिक्षा (प्राथमिक स्तर) पर बजट उपलब्ध कराने पर पूर्ण? दिया जाएगा। यह सन्तोषप्रद स्थिति है कि गाँवों में अधोसंरचना विशेषकर स्कूल बिल्डिंग, शौचालय, पेयजल टंकिया बनी हैं। 80 प्रतिशत तक स्कूल दो कमरों में आ गये हैं। 90 प्रतिशत स्कूलों के पास शौचालय और पानी के स्रोत, संग्रह एवंज निकास की व्यवस्था हो गयी है, परन्तु प्राइवेट स्कूलों की अधोसंरचना के मामले में सरकारी स्कूल कहीं नहीं समझते पुराने कान्वेंट स्कूल अच्छी बिल्डिंग और पर्याप्त जगहों के विकास का दृष्य प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण अधोसंरचना विकास का बड़ा क्षेत्र स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र और आंगनबाड़ी हो सकता है। यह स्तरीय है तो बच्चों और महिलाओं की जीवन गुणवत्ता भी अच्छी होगी। स्कूल की सरकारी सुविधायें ग्रामीण अधोसंरचना का बड़ा भाग है। प्राथमिक शालाओं में मरम्मत, निर्माण एवं भवन विस्तार के साथ निकट वर्षों में

सुलभ स्वच्छ शौचालय पीने के पानी की व्यवस्था हेतु पानी टंकी आदि अनिवार्यता बनायी गयी है।

	विवरण	2005–06	2008–09	2010–11
1	पीने के पानी की सुलभ उपलब्धता	83.1%	87.8%	92.7%
2	लड़कियों के लिए अलग टायलेट	37.4%	53.6%	60.3%
3	बाहरी चाहर दिवारी	50.7%	51.0%	55.4%
4	दिव्यांगों हेतु रैम्प	17.1%	40.4%	50.4%
5	कम्प्यूटर सुसज्जित	10.7%	14.1%	18.7%

Source : NUEPA Data, 2014

स्कूलों में अधोसंरचना ग्रामीण जीवन गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। ग्रामीण स्कूलों में सुविधायें बढ़ाई गयी हैं। पिछले दो दशक में विशेषकर नया रैम्प, सुलभ शौचालय–2005 एवं पानी की व्यवस्था के साथ। 2011 में 92 प्रतिशत स्कूलों में पानी का साधन हो गया। लड़कियों के लिए टायलेट 92 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में हो गया। प्राथमिक स्कूल के मुख्य अधोसंरचना के रूप में बाहरी चाहरदिवारी बनाने की स्थिति आधे से ज्यादा (55 प्रतिशत) तक स्कूलों में थी जो अनुमानतः अब 80 प्रतिशत तक स्कूलों के चारों तरफ चाहर दिवारी (बाउण्ड्रीवाल) बना ली गयी है।

स्कूल में स्वच्छता सम्बंधी सुविधाओं के आधार पर अधिक जनसंख्या वाले राज्य पीछे हैं, जैसे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ इसकी तुलना में कर्नाटक की स्थिति बेहतर थी। कर्नाटक के 46,421 स्कूलों में (प्राइमरी) में मात्र 12 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं थे, जबकि उत्तर प्रदेश में 2355, मध्यप्रदेश में 9130 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं थे। बिहार में 70,673 स्कूलों में से 17,982 स्कूलों में शौचालय नहीं थे। झारखण्ड, तेलंगाना जैसे राज्य पीछे थे। उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तरी राज्यों की तुलना में अधिक सहूलियतें लड़कियों के लिए स्कूलों में उपलब्ध थीं। केन्द्र शासित राज्यों में अच्छी स्थिति थी।

अधोसंरचनात्मक विकास ग्रामीण समाज की विकास की प्रक्रिया को रास्ते पर लाने और आगे बढ़ने का मुख्य प्रयास है। सार्वजनिक प्रावधान और सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा होता है। उच्च अधोसंरचनात्मक विकास ने बाजार और शहरीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण इलाके को बदल डाला है। यहाँ गाँव उन सुविधाओं से आगे बढ़ चुके हैं। प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति, सफाई, रास्ते और हाइवे से सम्पर्क का मार्ग मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बनाकर सम्पर्क से जोड़ा जा चुका है। इस स्थिति का दूसरा पक्ष हो सकता है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी सुविधायें अधूरी और ग्रामीण पंचायतों के तिकड़म का शिकार हो सकती हैं। अधोसंरचनायें विकास के लिये बजट प्रावधान और निर्माण के लिए निर्माण एजेन्सी के लिए जनपद जिला पंचायतों के द्वारा जवाबदेह है, परन्तु इसी स्तर पर आबंटनों का दुरूपयोग है और भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ जाता है। अपने गॉव के विकास हेतु अधोसंरचनायें अपने लक्ष्य प्रावधान में काफी विभाजनकारी हैं। गाँवों में गरीब परिवार बीपीएल और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन के सभी परिणाम सन्तोषप्रद नहीं प्राप्त होते। सरकारी गरीबी रेखा नीचे हैं उन्हें देखने के लिए किसी परिवार के बीपीएल स्तर पर होने से पेन्शन, ऋण, कर्ज माफी जैसे उदार सहायताओं का अनुपात अधिक है जबकि सुविधाओं से वंचित परिवारों की वास्तविकता में स्थिति अलग है। अधोसंरचना विकास में सबसे अधिक दबाव इसके परियोजनाओं और कार्यक्रम में आत्मचयन सिद्धांत की पृष्ठभूमि का है।

स्वास्थ्य के अभियानों में अधोसंरचनात्मक विकास का योगदान

ग्रामीण अधोसंरचना मूलक क्षेत्र को स्वास्थ्य पर भी शिक्षा मिशनकी तरह स्वास्थ्य मिशनके माध्यम से विकसित किया जा रहा है। पेयजल, स्वास्थ्य, स्वच्छता अभियान, का दायरा ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी जरूरत में रखा गया है, इसे पूरा करने का महत्त अभियान है जो ग्रामीणों के जीवन गुणवत्ता स्तर को बनाये रखने में और ऊँचा उठाने में 'सार्थक ढाँचा' है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच बनी है जो रणनीति के रूप में जीवन गुणवत्ता स्तर या सूचकांक में उन्नति से मापन की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू की गयी है। ग्रामीण क्षेंत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का ढॉचा, नौकरषाही और कार्यालय पद्धति का अनुषरण करता है। अस्पताल सरकारी अस्पतालों को पीछे छोड़ चुके हैं। जहॉ ग्रमीण क्षेत्र सामुदायिक अस्पताल के सहारे हैं। अधोसंरचना पूरा करने में सरकारी स्वास्थ्य महकमा लक्ष्य और समयपूर्ति हेतु निविदा ठेकेदारी तंत्र पर आश्रित हो जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा में विकास अवसंरचना (Infrastructure) राष्ट्रीय कार्यक्रम में चलाये गये जन स्वास्थ्य अभियानों का पूर्ण होना स्थानीय स्तर पर निर्भर रहा है जिसे स्वास्थ्य का तंत्र और राजनीतिक प्रयास को चिन्हित किया गया। अग्र अंततः सरकार–जनता भागीदारी मॉडल (PPP) को भी प्राथमिक रूप से उचित माना गया। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है उसी तरह अस्पतालों की भी कमी है। औसत जनसंख्या 662 पर एक डाक्टर है, वहीं 8330 ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या पर एक डाक्टर है। यह कहा जाता है कि सरकारी प्रयास में कमी के चलते देहात में प्राइवेट अस्पताल अधिक तैयार हो रहे हैं। ग्रामीण विकास पर उपलब्ध शोध कार्यों एवं साहित्य के सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक समावेशन (Social Inclusion) नजरिये से विकास का आयोजन और रणनीति बनाने की जरूरत है। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को विकास योजनाओं का फायदा किस तरह अधिक मिले यह प्रमुख मुद्दा है। सामाजिक विकास के नये क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार ग्रामीण आजीविका महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना, गैर सरकारी संगठनों को सहायता अजा एवं अजजा का विकास तथा पंचायत संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना। सामाजिक समावेशन का कार्य अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों (MDG) का भी विषय है, जिसमें 2015 तक गरीबी दूर करने हेतु उपाय पूरे करने थे, तदांतर

टिकाऊ (SDG) विकास लक्ष्यों को किया गया। समावेशन प्रक्रिया ग्रामीण भारत के निर्धन सामाजिक वर्गों को शामिल करने से आगे बढ़ती है।

1. आजीविका के अवसरों में बढ़ोत्तरी
2. सामाजिक सुरक्षा के साथ गरीबी की दर में कमी लाना,
3. समाज के अति दुर्बल वर्गों तक विकास रणनीतियों को पहुँचाना और उन्हें शामिल करना।

खाद्य सुरक्षा से आवश्यकतानुसार मुफ्त अनाज दिये जाने के साथ लागू हो गया है अथवा गरीब और निर्बल सामाजिक कैटेगरी के परिवारों (BPL+) को मुफ्त गैस सहायता ग्रामीण परिवारों में से निर्धनता के उन्मूलन संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र को शहरी सुविधायें उपलब्ध कराना सम्मिलित है। पिछड़े सामाजिक वर्गों को आवास योजना का लाभ दिया जाना भी चालू है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, ऋण भार मुक्ति योजना (कर्जमाफी) भी किसानों, गरीब परिवारों को लाभ दिलाया गया है। ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक समावेशन हेतु स्व–सहायता समूहों का विकास तेजी से हुआ है तथा सरकारी प्रयत्नों को इसे सफल बनाने का श्रेय है।

रोजगार सृजन और आय असमानताओं को कम करना पिछले दशकके ग्रामीण विकास नीतियों के पक्ष में उभरता संकेत रहा है। साफ सफाई, स्वच्छता, पेयजल, आवास, बिजली आदि पहले निर्बल सामाजिक वर्गों को दिये जायें। सामाजिक समावेशन हेतु प्रयासों में यह शामिल है। अधोसंरचनात्मक विकास के बाद वित्तीय समावेशन सूक्ष्म वित, महिला स्व–सहायता समूहों का पिछले दषके में व्याप्त रणनीतिक प्रभावों को देखा जा सकता है कि सषक्तिकरण के साथ विकास ही वर्तमान का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। कौशल विकास, रोजगार उपलब्धता से ग्रामीण विकास की नयी योजनाओं को संभालने और लागू करने का लक्ष्य रखा जाना भी उचित है। समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, वनबंधू कल्याण (आदिवासियों के लिए) योजना पर ध्यान अधिक दिया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय समाज के निर्बल वर्गों में व्याप्त असंतोष को कम किया जा सकता है। कई पुरानी योजनायें समय की मॉग के अनुसार परिबद्धित हुईं हैं। ऊर्जा संरक्षण, बाल श्रम जैसे कई क्षेत्र हैं जहॉ नयी योजना के साथ पुरानी योजनाओं की समीक्षा करते हुए संषोधित रूप में लागू किया गया। सामाजिक रूप से गरीब तबके हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना का संरचनात्मक उददेश्य पर ध्यान दे। तो यह स्पष्ट होता है कि वे कौन से लोग हो सकते है, जिनके समावेशन नीतियों के तले सुविधायें दी जाती हैं, जैसे –

1. अनुसूचित आदिम जनजाति समूह (PTG),
2. एकल महिला और महिला मुखिया परिवार,
3. एकांतवासी पहाड़ी निर्जन इलाकों में बसे परिवार

ऐसे परिवार अधिकांश गरीबी की चपेट में हैं। महिलाओं के हित में यदि बात करें तो वित्तीय समावेशन और पचास प्रतिशत का आरक्षण कोटा एक सफल उपयोग और प्रभाव पाया गया। सामाजिक समावेशन तभी आगे बढ़ेगा जबकि इसे सकारात्मक भेदभाव का संरक्षणकारी नीतियॉ (आरक्षण) के समांतर भी लागू करें। राजनैतिक समावेशन में संविधान का 73वॉ एवं 74वॉ संशोधन कारगर साबित हुआ है। सामाजिक समावेशन नीतियॉ कल्याण और उदार अनुदान, बजट आदि के साथ विकास की रणनीति में ही ऊपर दर्ज की जाने के काबिल बनायी गयी हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सकारात्मक भेदभाव नीतियों और आरक्षण प्रावधानों के दायरें को बढ़ाये जाने से समावेशन का उदृदंश्यपूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो पायेगा जेण्डर और समावेशन का प्रश्न जोड़ा जाना इस स्तर पर आवश्यक है कि क्योंकि अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर विकास और जेण्डर मुद्दा को ध्यान दिया जा रहा है। 'समावेशन' प्रक्रिया दोतरफा हो सकती है इसमें उत्प्रेरक, भागीदार और प्राप्तकर्ता के रूप में महिलायें शामिल की जायें।

समावेशन रणनीति से नीति और क्रियान्वयन में दूरी को पाटा जाना जरूरी है। पहले आर्थिक समावेशन पर ध्यान दिया गया जिससे गरीबी उन्मूलन रणनीति को निर्बल ग्रामीण महिलाओं को लक्ष्य समूह बनाकर कार्य किया जाये तथा समष्टि और व्यष्टि (माइक्रो) नीतियों को महिलाओं की एकजुटता और आत्मनिर्भरता को भागीदारी से जोड़ दिया गया। लघुवित्त (MicroCredit) का प्रयोग 2012 के उपरान्त सफल रहा। ग्रामीण वित्त को महिलाओं की आवश्यकता अनुसार बैंक के ऋण प्रवाह धारा को मोड़ना तथा कम ब्याज दरों को लागू करने से ग्रामीण निर्धनता और वित्तीय सुदृढ़ता का कार्य प्रगत होगा। सामाजिक समावेशन का लक्ष्य है कि वह गरीब लोगों की भागीदारी को बढ़ाये। पूर्व अध्ययनों से ज्ञात होता है कि महिलाओं और निचले वर्ग के गरीब समुदायों के लिए रोजगार की उपलब्धता से आगे रोजगार के कौशल विकास केन्द्रित तरीके हो पिछले समय से वैश्विक आर्थिक मंदी ने यह सबके दिया है कि रोजगार अवसरों के बढ़ाने पर ही निर्धनता के घनत्व को कम किया जा सकता है। सामाजिक समावेशन मूलतः उस विचार को पोषक है जो 'बहिष्करण' (Exclusion) को सामाजिक व्यापक हित में समाप्त करने हेतु है। यह देखा गया कि सामाजिक समावेशन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अधोसंरचना, रोजगार सृजन में वृद्धि होने से सकारात्मक रूप से सामाजिक निर्बल वर्गों की स्थिति से गुणात्मक अन्तर आयेगा। ऊर्जा, पेयजल, वित्त–प्रवाह, स्वच्छता अभियान, आवास जैसे मुद्दे अनुवांशिक रूप से अब शामिल किए गए हैं।

यघपि प्राथमिक शिक्षा तक समान पहुँच अभी भी बन नहीं पायी है। समावेशी प्रक्रिया में लड़कियॉ मुख्य लक्षित समूह जिन्हें नामांकन, प्रतिधारण दरों में वृद्धि करने और शिक्षा समावेशन में लैंगिक भेदभाव और बाधायें मौजूद हैं। निर्बल वर्ग तक शिक्षा की संसाधन पहुँचको पहुँचाने का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। यह पाया गया है कि गॉवों में पेयजल, स्वच्छता और सीवेज प्रणाली (शहरों से सटे गॉव) का विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय प्राथमिकता में रखा गया है। इसे सेक्टोरल लक्ष्य न बनाकर निश्चित समयावधि की योजना के रूप में लागू करने की जरूरत है।

ग्रामीण क्षेत्र में नयी लागू हो रही योजनायें विभिन्न विभागों से अलग–अलग कार्यनीति से लागू होती है, परन्तु योजनाओं का निचले वर्ग के ऊपर प्रदायगी, रखरखाव और निरन्तर उपयोग लायक परिसम्पत्तियों की तैयारी पीछे रह जाती है। योजनाओं के सैद्धांतिक ढाँचे और व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्वयन का अंतर बना हुआ है। कई सामाजिक परिस्थितियॉ निर्धनता से पीड़ित परिवारों में व्याप्त दिखती हैं। इन विकट परिस्थितियों में सामाजिक विभेद कष्ट बढ़ाते रहते हैं। विकट परिस्थितियों में गरीब अजा और अजजा परिवार इनकी महिलायें विस्थापन, यौन हिंसा, अपराध, रोजगार की कमी आय साधनों में कमी आदि की समस्याओं से रोजाना सामना करती है। पुरूषों का मजदूरी हेतु पलायन स्त्रियों की असुरक्षा में भी वृद्धि करता है। इससे सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया में संकट ग्रस्त समुदायों पर ध्यान दिया जाये ताकि वे विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ अपने हक के साथ आसानी से पा सके।

मूलतः राजनैतिक अर्थव्यवस्था का विषय है कि समाज के सर्वहारा जैसे हाशिये पर स्थिर जनसंख्या की इकाई को कैसे केन्द्र में उठाया गया ? प्रमुख अर्थशास्त्री ज्यॉ द्रेज का कहना है कि भारत में सामाजिक नीतियों का काफी विस्तार हो चुका है। समावेशन के मुद्दे यद्यपि नये हैं। आज किसी गॉव में जायें आँगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल एक पंचायत भवन, सामुदायिक भवन (बारात घर या विवाह घर किसी नाम से) मिलेगा जहॉ निकटतम साक्षात्कार सरपंच और पंचायत सचिव का होता है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पेन्शन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड से सभी गॉव वाले परिचित हैं और प्रत्येक ग्रामीण का बना हुआ है फिर भी अधिकांश भारतीय राज्यों को प्रभावकारी सामाजिक नीतियों को स्थापित करने और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वंचित लोगों के हितों, मॉगों और अधिकारों से जोड़ने के लिए अभी एक लम्बी दूरी तय करनी है (ज्यॉ द्रेज, पृ.11) भारतीय समाज में जातीय संस्तरण आर्थिक गतिशीलता, खुली प्रतियोगिता एवं बंद समाज के लिए धार्मिक–सांस्कृतिक बंधन या अवरोध आज भी बने हुये हैं। ग्रामीण भारत में मध्यवर्ग तेजी से बढ़ रहा है। इससे उच्च जातियॉ और बाकी सभी मतध्यम, निम्न अपने सोपानवत व्यवस्था से बाहर की ओर बढ़ रही है। मध्यवर्ग 60 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। इससे अलग समावेशी विकास के ज्वलंत प्रश्न उठाये जा सकते हैं। वंचित तबका हाशिये पर स्थित समुदाय, जाति–वर्ग ध्रुवीकरण की स्थिति (कास्ट–क्लास द्वैध) भी है। स्तर पर देखें तो स्कूल भारतीय जाति व्यवस्था का दर्पण है, जहॉ बच्चा अपने जातीय पृष्ठभूमि से बाहर नहीं उबर पाता साथ ही स्कूल की सामाजिक व्यवस्था जानने में सरकारी नीतियॉ, आरक्षण शिक्षकों की सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षकों की भर्ती, शिक्षक राजनीति, स्कूल तक गरीब बच्चे की पहुँच जैसे प्रश्न सामाने आते हैं। प्राथमिक शिक्षा में निजीकरण बढ़ रहा है। उन्हें भी नकेल कसने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून (RTE-2005) बनाया गया है, परन्तु शिक्षा प्राप्त करने में असमानता बनी हुयी है। शिक्षा का प्रबंधन धीरे–धीरे बाजार के हाथों में पहुँच रहा है।

समावेशी विकास में शिक्षा, स्वतंत्रता बराबर की भागीदारी का द्वार खोलती है। समावेशन से रोजगार योजनायें भ्रष्टाचार से आगे बढ़ नहीं पातीं और इस मामले में जन कार्यवाही, स्वैच्छिक विकास का यह क्षेत्र अनेक विसंगतियों को दूर करने लायक है। ग्रामीण बेरोजगारी वैसे तो जनसंख्या दबावों से कम नहीं हो पायी है, परन्तु रोजगार लायक बनाने के रास्ते में बड़ी बाधायें हैं और राजनैतिक रूप से सभी दल रोजगार आश्वासनों का एजेण्डा सामने रखते हैं। मनरेगा की बहुत चर्चा होती है, यह राज्यवार उपलब्धियों के स्तर पर अलग–अलग छवि प्रस्तुत करता है कि सभी सदस्यों को सालभर में 100 दिन का रोजगार मिल गया, परन्तु समावेशन प्रक्रिया में वंचितों को अग्रगामी नहीं बनाया जा सका। समावेशन प्रक्रिया में अनुसूचित जातियॉ और जनजातियॉ आधे से अधिक ग्रामीण इलाके में नकद आमदनी पाने में आगे रही, दूसरी तरफ उनका बहिष्करण (Exclusion) प्रक्रिया से बाहर हैं, उन्हें सामंती पृष्ठभूमि और ऊॅची जातियों के भूमिपतियों और गुलामी प्रथा से भी मुक्ति मिली और निर्भरता कम हुयी। नरेगा ने महिलाओं को सषक्तिकरण का अवसर दिया। यदि महिलाओं का अपना बैंक खाता, आधार कार्ड से लिंक है, जहॉ सरकारी योजनाओं का पैसा जमा होता हो तो यह संकेत स्पष्ट है कि लाभार्थी महिलायें शासन की विभिन्न योजनाओं से फायदेमंद स्थिति में रहेंगी। समावेशी प्रक्रियायें आर्थिक विषमता कम करने में मदद करने का प्रतीक भी है। समावेशन प्रक्रिया और ग्रामीण विकास के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा, दोपहर भोजन योजना का महत्व भी है, जो प्रायः गरीब तबके के बच्चों और आर्थिक सामाजिक तबके निचले स्तर पर अधिक कारगर हो गयी है। सामाजिक समावेशन के उद्देश्यों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद स्थिति में शासन प्रवर्तित योजनाओं में देखा जा सकता है तथा इससे सकारात्मक उम्मीद है।

भारतीय संदर्भ में खाद्य सुरक्षा का अधिकार या भोजन का अधिकार (Right to food), शिक्षा का अधिकार (Right to education) वैचारिक और संवैधानिक रूप से आगे बढ़ा है। घोषणा पत्र, अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से अंगीकृत हुआ है, परन्तु भोजन के अधिकार को सही स्पष्टता से रखा जाना है जैसा कि सूचना के अधिकार (2005) को कानूनी जामा पहनाया गया और तदंतर 2009 में शिक्षा के अधिकार को भी किया जा चुका है। दूसरे क्षेत्र की बात करें स्कूलों में संचालित दोहर भोजन (MDM) राष्ट्रव्यापी दो दशकीय कार्यक्रम है जिसमें सामाजिक–आर्थिक अधिकारों की भूमिका है। इसे अब अनिवार्य रूप में लिया गया है, परन्तु हर बस्ती में सक्रिय आंगनबाड़ियों का पहले जनता का सक्रिय समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था। जैसा हम जानते हैं कि 1980 में मध्यान्ह भोजन सबसे पहले तमिलनाडु में राजनैतिक एजेण्डा के तौर पर प्रतिष्ठित हुआ था। राजनीतिक दल चुनावी अवसरों पर अब साड़ियॉ, मोबाइल, पार्टी के प्रतीक सहित कपड़े, चावल, टी.वी. आदि बांटने में आगे हैं, परन्तु यह कार्यक्रम सामाजिक समावेशन से अलग तुष्टि की बावत पहल करने वाला मान सकते हैं। रोजगार योजनायें, आंगनबाड़ी सुविधायें और आवास का अधिकार तथा गरीबों

के लिए मुफ्त बिजली, आवास, पेयजल की सुविधाओं का लक्ष्य समाज के मुख्य धारा की जगह राजनैतिक रूप में वोट बैंक को सुरक्षित बनाना भी है। सामाजिक समावेशन को राजनैतिक लोकतंत्र का भाग कहा गया है। पिछले दशकसे सामाजिक सुरक्षा पेन्शन का दायरा बढ़ाया गया है। आज अधिकांश बेसहारा, विधवायें, परित्यक्ता से लेकर अविवाहितों तक को इस छतरीनुमा योजना के दायरे में ले लिया गया है।

समावेशन प्रक्रिया विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया जैसे संसाधनों का समतावादी वितरण (Justice with Equity) है और यह अब कहा जाता है कि सबका साथ–सबका विकास भारत में गरीबी के दुष्चक्र में आज भी 30 प्रतिशत आबादी है जबकि 70 सालों का योजनामूलक विकास का नारा बार–बार नये और पुराने रूप में दोहराव पर है।

समता के साथ विकास रणनीति पर भी काम हुआ है। ऐसे बजट दस्तावेजों को पढ़नें से भी सबूत मिलता है कि भूस्वामी, नवीन अभिजात पूँजीपति और उच्चतम धनाड्यों की आमदनी में इजाफा कई गुना तेज हो रहा है और धीमी गति से निचले स्तर के परिवारों की आमदनी में परिवर्तन दिखता है। एक नजर में यह प्रतिगामी विकास है। आमदनी असमानता ग्रामीण क्षेत्र में कम होती जाये ऐसा सभी विकास योजनाओं का लक्ष्य और मिशनरहा। कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सा कम होता जा रहा है।विषेषज्ञों ने पाया है कि राज्यों के बीच असमानता आय सृजन के क्षेत्र में अधिक है और खेती आमदनी में राज्यवार अन्तर है। कृषि विकास पर टिके रहने वाले राज्यों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विविधतायें कम ही रहीं (2003–14) ग्रामीण विकास के भारी प्रचार–प्रसार योजनाओं के दौर में देहाती भारत में खेती लायक भू–जोत में गिरावट देखी गयी है। 2010–11 में जोत का आकार 1.15 हेक्टेयर औसत था अर्थात सीमान्त भूस्वामियों की संख्या तीन गुना बढ़ गयी थी। 1966–67 की कृषि जोत संगठनों की तुलना में। आज ग्रामीण विकास का नारा दिया गया है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना की जायेगी। प्रश्न है कि ग्रामीण विकास का लक्ष्य सीमांत किसान होगा या बड़ी जोत से उच्च उत्पादकता के तर्क के आधार पर बड़ा पूँजीपति किसान जो अधिक से अधिक खेती मषीनों से ठेके पर करवाता है। कृषि उपज का मूल्य और बोनस घोषित करना, कर्ज माफी, बिजली बिल माफी जैसे कदम सीमान्त किसानों के पक्ष में किये गये हैं, परन्तु इनका प्रभाव दीर्ध अवधि में देखा जा सकता है। सामाजिक समूहों के भीतर निर्धनता की स्थिति चिंताजनक है। 2010 में भारत की 32.6 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता सीमा रेखा में थी (विश्व बैंक)। यह कहा गया है कि रोजाना 22 रूपये खर्च करने की क्षमता वाला व्यक्ति गरीब नहीं है परन्तु यह परिभाषा उपभोग व्यय की सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती। कमाई और उपभोग स्तर गणना आधारों को तेन्दुलकर समिति और योजना आयोग, विश्व बैंक के अलग–अलग पैमाने से गरीबी की वास्तविक सघनता मापने का पैमाना विवाद और विमर्श का क्षेत्र है।

सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों को सबसे बड़ा लक्षित समूह माना गया है। इनमें निर्धनता का आकार ऊँचा है। 2004–05 के सर्वे में पाया गया कि बिहार की 64% अजा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे थी, झारखण्ड में 57.90%, मध्यप्रदेश की 42.80% अजा जनसंख्या गरीबी की सीमा रेखा से नीचे थी। उत्तर प्रदेश में 44.80%, छत्तीसगढ़ की 32.70% अजा जनसंख्या गरीबी सीमा रेखा के भीतर थी। पूरे देश में 36.80% अजा जनसंख्या गरीबी सीमा रेखा से नीचे रह रही थी (2004–05) औसत रूप से पूरे देश में 27% जनसंख्या अनुसूचित जाति की गरीबी सीमा रेखा के भीतर थी।

यह पाया गया है कि सामान्य जनसंख्या की तुलना में उच्च निर्धनता में 49.6% या 50% जनजातियॉ गरीबी सीमा रेखा से नीचे थीं, जबकि 12% सामान्य जनसंख्या मात्र गरीबी सीमा रेखा के भीतर थी, अतः चार गुना अधिक जनजातियॉ गरीब थी। वर्जीनियस खाखा (2014) समिति ने गरीबी के अनुमानों पर प्रकाश डाला है।

2012 के बाद बिजली का निजीकरण और केन्द्रीकरण में बदलाव से ग्रामीण विकास एवं ऊर्जा पूर्ति समस्याओं को भी देखा गया तथा 2018 से अब निर्धन परिवारों के 2001 प्रतिमाह बिजली बिल रखने तथा सीमान्त किसानों के बकाया बिजली बिलों को माफ करने के राजनैतिक निर्णयों से स्थिति बदली है। गरीबों तक बिजली के पहुॅचाने का मानदण्ड और सेवाएं बदली हैं।

बकाया बिजली बिल की माफी ने किसानों को वित्तीय घाटे और कर्ज लेने के दबाव से भी मुक्त किया है जैसा मध्यप्रदेश में हुआ है। ग्रामीण विकास के विश्लेाकों के सामने यह सवाल रहेगा कि आखिर हम बिजली क्षेत्र में हमेशा घाटे में क्यों रहते हैं ? ग्रामीण विकास योजनाओं पर ऊर्जा के स्त्रोतों में में संकट जैसे डीजल, पेट्रोल का बढ़ता दाम भी शामिल है। इसमें सरकारी कर्मचारी, नेता और आम किसान सभी सामना करते हैं। सब्सिडी की राजनीति से ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। खाद्य, सब्सिडी, अनाज समर्थन मूल्य (फसल, उपज लागत) न्यूनतम समर्थन लागत और फसल बोनस, ऊर्जा सब्सिडी खाद्य सब्सिडी की लोकलुभावन की नीतियॉ आज प्रमुख हैं, अपितु ग्रामीण विकास योजनाओं का हो सब्सिडी का दर्शन साबित हो रहा है।

इस तंत्र के तत्व हैं कड़ी निगरानी, आवधिक मूल्यांकन, पारदर्शिता, जवाबदेही, जनभागीदारी, सामाजिक लेखा। ग्रामीण विकास मंत्रायय के प्रतिवेदनों में उद्दंश्यके रूप में ग्रामीण गरीबी को दूर करना रखा गया। आय सृजन और पर्यावरण सम्पूर्ति अन्य लक्ष्य थे। महात्मा गॉधी नरेगा योजना, रोजगार की मॉग आधारित है। इसका उद्देश्य टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण करना था। इस योजना को जनपद विकास खण्ड स्तर पर पंचायतों से जोड़ा गया। फलस्वरूप भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी से योजना लक्ष्यों से आधे–अधूरे खराब गुणवत्ता और देरी से चमक खोती प्रतीत होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जून 2011 से लागू हुयी यह ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए लाभकारी रोजगार स्थानीय स्तर पर देने

के लिये बनी लक्ष्य था। 2022 तक 8–10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक महिला स्वसहायता समूह को भी जोड़ते हुए सहायता पहुँचाना, साथ अनुसूचित जाति और जनजातियों के परिवारों को भी समस्त लाभार्थियों में 50 प्रतिशत अनुपात में रखना। बैंकों के वित्तीय समावेशन को भी लिया गया जिससे सीधे ग्रामीण गरीब परिवारों को वित सहायतायें उपलब्ध कराई जायें।

अधोसंरचनात्मक विकास में सार्वजनिक (Public) निजी सहयोग एक स्थापित हुयी रणनीति है। दूसरे हाथ में सब्सिडी की खुराक है, अतः घाटा, सब्सिडी, मुफ्त बिजली देने, ऋणों की माफी ग्रामीण अधोसंरचनात्मक विकास के रास्ते में है, अर्थात विकास योजनाओं का चेहरा बदला है। लोकलुभावन योजनायें हैं परन्तु इनका तुष्टीकरण पीछा नहीं छोड़ती। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक ताकतें हैं, इन्हें विकास अभिजन (Development Elites) कह सकते हैं। माना जाता है कि विशेषाधिकार से लैस लोगों को हासिल विषमतापूर्ण ताकत भारत के उस समतापूर्ण विकास की प्राथमिकताओं में होने वाली विकृति का बड़ा स्त्रोत है। अधोसंरचनात्मक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भ्रष्टाचार, (कमीशनबाजी बड़ी आड़े आती है। सूचना के अधिकार से ऐसे मामलों पर बराबर खोज खबर सामने आती है सोशल मीडिया, टी.वी. समाचार चैनल के जरिये भी।

निष्कर्ष

ग्रामीण अधोसंरचना में प्राथमिकता तथा बजट प्रावधानों में परिवर्तन पिछले दशक से लगातार हुआ है। ग्रामीण सड़कें, दूर संचार, ग्रामीण आवास पर अधिक ध्यान दिया गया। सामाजिक समावेशन नीति का विषय है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल और स्वच्छता के लिये निर्धन तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर विकास के ढाँचे की तैयारी और लागू करने का लक्ष्य लिया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर भी उत्तरोत्तर ध्यान दिया गया तथा अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिये व्यय प्रावधान अधिक बढ़ाये गये हैं। ग्रामीण विकास के लिये लक्षित समूह सामाजिक रूप से पिछड़े, समूह हैं। भारत में सामाजिक नीतियों का काफी विस्तार हो चुका है। समावेशन के मुद्दे यद्यपि नये हैं। बहिष्करण को समाप्त करना है तो समावेशन नीतियों को बढ़ाना होगा। यहॉ पर उल्लेख करना जरूरी है कि भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकारिक समावेशन का कारगर उपाय है।

अधोसंरचनात्मक विकास से फायदा यह हुआ है कि समय से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सड़कों से शिक्षक स्कूल समय से पहुँच रहे हैं। अस्पताल तक ग्रामीणों की पहुँच में तेजी आयी है। मनरेगा योजना ने आय सृजन, रोजगार और गॉव में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध है, तथा जीवन स्तर में सुधार है। सूचना के अधिकार से गाँवों में जागरूकता और तेजी आ गयी है। सरकारी बजट के प्रयोग, पंचायतों का दायित्व को आगे बढ़ाया जाना संभव हुआ है जो प्रचार–प्रसार होता रहे। स्वच्छता अभियान में चौतरफा सफलता दिख रही है। अधोसंरचनात्मक विकास से सामाजिक क्षेत्र की चिन्हित योजनायें ग्रामीणों के लिये आत्म चयन सिद्धांत का प्रश्न है कि उन्हें इनके प्रभाव समझने होंगे। निर्धनता के बहुआयामी दबावों का सामना करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास का क्षेत्र है जिससे जीवन गुणवत्ता स्तर को देखा जाना चाहिए। इसी तरह समाज में सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया को मुख्य परिधि में उचित रूप से गतिशील होना आवश्यक है, इसमें अभी भी असमानता है, साथ ही नये–नये असमानताकारी दशायें उभर रही हैं। झारखण्ड, उड़ीसा के उदाहरण से देखा जाये तो पिछड़ापन है। यहॉ जीवन गुणवत्ता स्तर पीछे है–दूसरे विकसित राज्यों की अपेक्षा। जनजातियों के संकेद्रण वाले राज्य और इनके जिलों में सामाजिक समावेशन की स्थिति अच्छी नहीं है। जीवन गुणवत्ता स्तर को विचार हेतु समावेशन का भी पक्ष देखना होगा। नीतिगत परिवर्तन और नये सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा निरंतर किये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *A.Vangaria & Megha Mukim (2014),A ComprehensiveAnalysis of Poverty in India. www.mitpressjournals.orgAsian Development Review, Vol-31 (1) P.1-52.*
2. *Amaresh Dubey (2007), Conceptualizing Social Exclusion with Context of India's poorest regions Q-Squared Working Paper No.39, June.*
3. *C.J.Sonawal (2008), Indian TribesAnd Issue of Social InclusionAnd exclusion. Studies on Tribal & Tribals, Vol.6(2), P.123-134.*
4. *Devnathan: XaXa.V.(Ed.) (2012), Social ExclusionAndAdverse Inclusion : DevelopmentAnd deprivation ofAdivasis in India OUP, New Delhi.*
5. *Dubey,A., S.Thorat, S.Tiwari (2018), GrowthAnd PovertyAcross States in India : The Social Group Diamension, SSRN, https/Ipapers.ssrn.com/sol13.*
6. *Hasensab Nadaf & R.R.Biradar (2018), Incidene of PovertyAmong Social Groups: Why do the SC/STs Remaining Chronically Poor? Int.Journal of Current Research, April-2018.*
7. *IDBC-TTI 2015, India Exclusion Report 2013-14, Books for Change Centre for Equity Studies-2015, New Delhi.*
8. *India Rural development Report 2012-13 IFDC, Orient Blackswan, 2013.*
9. *K.K.Tripathi (2019), Infrastructure for Rural transformation. Kurukshetra, March.*
10. *K.M.Singh, et.al Rural Poverty in Jharkhand :An Empirical Exploration of Socio-economic determinants, www.researchgate.net.in*
11. *Madhusudan Ghosh (2017), InfrastructureAnd development in Rural India. The Journal ofApplied Economic Research.*
12. *Moosa Fazin & ShakeelAhmed (2017), Social InclusionAnd Rural Development Through NGNREGA, Pune Research Discovery, Vol.2(1).*
13. *Morrism D.(1981), The Physical quality of life index (PQLI), Development digest, 18(1), 95-109.*
14. *Pratap Bhanu Mehta (2014), Ideas, InterestAnd the Politics of Development change in India : Capitalism, InclusionAnd the State.Michael Walton, CPR, New Delhi, Erid Working Paper No.36*
15. *R.K.Panda, Socially ExclusionAnd Inequality opportunities inAgenda-2013, SDG.*
16. *S.Mahendra Dev (2010), Rural Poverty, InequlityAnd Social Exclusion, Dimensions, ProcessAnd Policies, rimisp.org*
17. *Spatial Poverty in Jharkhand, livement.com-2014.*

18. *Wooj in King (2015), PovertyAnd InqualityAmong Social Groups in India. Korean Journal of Policy Studies, Vol-30 (2).*
19. *www.s-space.snu.ac.kr*
20. *www.rural.nic.in*
21. *कुरूक्षेत्र, मार्च–2014*
22. *अर्जुन सोलंकी (2014), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कुरूक्षेत्र, मार्च–2014*